Sub Registry Office, Danapur

Receipt for search, inspection and copy

Sanjeeta Devi

Misc token no. Serial no. 560

Year Date 13-7-18

Received from

Following fees:

F (i)- 0	F (iii)- 0	G- 0
F (ii)- 0	F (iv)- 0	G(a)- 0
		Total- 0

300

Registering Officer

अनुसूची 21—फाम सं० 113

14178

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या 150 आवेदन सं० 560 19

श्रीमती/श्री Smt. Sangita Devi 13-1-18

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्धारित संव्यवहारों और अवधारों का प्रमाण-पत्र दिया जाय। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवधारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणिकों में सं० 2005 to till Date 19 तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवधारों का पता चला

चला है अर्थात् ~~निम्नवत्~~

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के पृ० निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	खंड	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Dist – Patna

Mauza – Jamsaut

P.S – Shahpur

P.S. NO – 30

Khata no – 400

Tauzi no – 5171

Pilot no – 2169

Area – 3403.12 sq ft + 3403.12 sq-ft + 4083 sq-ft

"Sun Rise Sai Tower"

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
2. बंधक पत्र की दिशा ज्ञात की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। जहाँ तक उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ इस संपत्ति से प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर) Virendra

(पदनाम): U.D.C.

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर): धीरेन्द्र

(पदनाम): L.D.C

कार्यालय: Danapur

तारीख: 14-1-18

मुहर एवं निबंधन प्राधिकारी का हस्ताक्षर 14-1-18

टिप्पणी:—इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुत संपत्ति विवरण पर आधारित है। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों की निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो ऐसा दस्तावेजों में प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा 45 के अधीन जो व्यक्ति (बाइवी) और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) को उपलब्ध देखना चाहते हो अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो जिन्हें निदेश महानिरीक्षक के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी पत्रों जरूरी होगी। संबंधित व्यक्ति का हस्ताक्षर करने के बाद बाइवी और अनुक्रमणियां उनके सामने रखदी जायेगी।

X क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण को किसी भूल के लिये किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

✓ ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके द्वारा दी गई संव्यवहारों और अवभारों की सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए किसी आवेदक द्वारा दी गई ऐसे संव्यवहार और अवभार को छोड़ के लिए किसी तरह जिम्मेवार न होगा जिसे इस जांच पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, ~~ARR~~ निबंधक 16-1-18

प्राप्त संख्या 15 दिनांक

आवेदक श्री Smt. Sangita Devi

का सत्यापन प्रमाण पत्र द्वारा

State Bank of India, RACPC (Patna)

का इसके पत्र संख्या दिनांक के प्रमाण में आवेदित की गई

निबंधन महानिरीक्षक।

14/01/18

SPL-469/99-2.00,000